

महत्वपूर्ण परिपत्र

सं.प्रशा./हिं.क./601/हिंदी पखवाडा/2017
कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(सी.रा.)
सीमा सड़क भवन, रिंग रोड नारायणा,
दिल्ली छावनी-110010
दिनांक: 06/02/2017

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभागों सहित
समस्त उप-कार्यालय

विषय: सरकारी कामकाज मूलरूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा के आदेशों के अनुसार इस कार्यालय सहित संगठन के उप-कार्यालयों में हिंदी में मूल कार्य करने संबंधित प्रोत्साहन योजना लागू है। इस नकद पुरस्कार योजना में सभी श्रेणियों के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं। इस योजना हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 01 अगस्त, 2016 से 31 जुलाई, 2017 तक मूलरूप से हिंदी में किए गए सरकारी कामकाज का आकलन किया जाए तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा लिखे गए हिंदी शब्दों की संख्या की पुष्टि करने वाले अधिकारी कृपया निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें:-

1. परिपत्र/अन्य सामूहिक पत्राचार जो अनेक कार्यालयों को भेजा जाता है उसको मात्र एक पत्र ही मान कर उसकी शब्द संख्या का परिकलन किया जाए।
2. जारी किए जाने वाले सभी अनुस्मारकों के सभी शब्दों की गणना की जाए।
3. फोटो प्रतियां/फार्मों में जो शब्द मूल रूप से लिखे जाते हैं/रिक्त स्थानों में भरे जाते हैं, मात्र उनकी गणना की जाए।
4. रिपोर्ट/कागजात आदि जो आवृत्ति प्रकृति के हैं उनकी शब्द संख्या हेतु गणना न की जाए।
5. कार्यालय प्रधान/हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि योजना में अंतर्निहित भावना के अनुरूप टिप्पण एवं आलेखन के अतिरिक्त मूलरूप से हिंदी में किए गए अन्य कार्य का ही शब्द संख्या में परिकलन किया जाए।

इस योजना के अंतर्गत "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने एक वर्ष के दौरान कम से कम 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द लिखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम 10 अगस्त, 2017 तक अवश्य भेज दें। भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी के लिए अलग-अलग प्रपत्र प्रयोग किए जाएंगे।

कृ.पृ.उ.

रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के दिनांक 23 जनवरी, 2017 के अधीन सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 सितम्बर, 2016 का कार्यालय ज्ञापन प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इस योजना के अधीन प्रदान की जाने वाली पुरस्कारों की राशि निम्नप्रकार है:-

मुख्य कार्यालय हेतु:-

प्रथम पुरस्कार	(दो)	2 @	रु.5000 /-	=	10000-00
द्वितीय पुरस्कार	(तीन)	3 @	रु.3000/-	=	9000-00
तृतीय पुरस्कार	(पांच)	5 @	रु.2000/-	=	10000-00
				योग =	<u>29000-00</u>


उप-कार्यालयों हेतु:-

प्रथम पुरस्कार	(दो)	2 @	रु.5000/-	=	10000-00
द्वितीय पुरस्कार	(तीन)	3 @	रु.3000/-	=	9000-00
तृतीय पुरस्कार	(पांच)	5 @	रु.2000/-	=	10000-00
				योग =	<u>29000-00</u>

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त योजना से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराया जाए तथा आप अपने कार्यालय/अनुभाग में तैनात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त अवधि के दौरान किए गए हिंदी कार्य का विवरण/आंकड़े संलग्न प्रपत्र में शब्दों की संख्या सहित प्रेषित करें ताकि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत करने हेतु विचार किया जा सके।

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक महोदय द्वारा अवलोकित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।


(कृष्ण गोपाल)
सहायक निदेशक(रा.भा.)


प्रतिलिपि सेवा में,

1. रक्षा लेखा महानियंत्रक
उलन बटार मार्ग, पालम,
दिल्ली छावनी-110010

-----सूचनार्थ

✓ 2. प्रभारी अधिकारी

ई.डी.पी. कक्ष ----- वैबसाईट पर डाउनलोड करने हेतु।


(कृष्ण गोपाल)
सहायक निदेशक(रा.भा.)

प्रपत्र

हिंदी मूल कार्य प्रोत्साहन योजना

(01 अगस्त, 2016 से 31 जुलाई, 2017 तक के दौरान किए गए हिंदी कार्य का विवरण)

कार्यालय का नाम-----क्षेत्र जिसमें स्थित है क/ख/ग ----

अधिकारी कर्मचारी का नाम----- पदनाम-----

लेखा संख्या----- मातृभाषा-----

क्रम सं.	तारीख	कुल फाइलों, रजिस्ट्रों की संख्या जिनमें कार्य हिंदी में किया गया	हिंदी में लिखे गए टिप्पण, आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए अन्य कार्यों की शब्द संख्या	प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापन

कुल शब्द संख्या-----

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी

टिप्पणी: प्रविष्टि के साथ निष्पादित किए गए कार्य के पांच अलग-अलग नमूना पत्र/टिप्पण संलग्न करें।